उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश
जबलपुर
माननीय न्यायाधीश श्री अचल कुमार पालीवाल
के समक्ष

दांडिक अपील क्रमांक 3643/2017

गोलू उर्फ इन्द्रकुमार पटेल
विरूद्ध
मध्य प्रदेश राज्य

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक कोष्टा

प्रत्यर्थी की ओर से पेनल लायर श्री राजीव पाण्डेय

दिनांक : 16.07.2025 को आरक्षित

दिनांक : 30.07.2025 को घोषित

यह अपील निर्णय के लिए सुने और आरक्षित रखे जाने के बाद आज न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय सुनाया :—

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.एक्ट, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 08/2010 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी/आरोपी को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/20(बी) (दो) सबक्लॉज ''सी'' के तहत दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000/—रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में चार माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया है ।

Signature Not Verified
Signed by: S HUSHMAT HUSSAIN
Signing time: 30-07-2025 19:22:56

02. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.02.2010 को आरक्षी केन्द्र लार्डगंज के उपनिरीक्षक हरिओम शर्मा को मुखबिर ने थाने आकर सूचना दी कि रानीताल जगदीश अखाड़ा निवासी सुशील सोनकर अपने साथ बाबू कोरी एवं गोलू उर्फ इन्द्र कुमार पटेल के साथ एम्बेस्डर कार क्रमांक एम.पी. 20टी 4954 से अवैध गांजा की बड़ी खैप लेकर आ रहे है, जिसकी डिलेवरी रानीताल चौक के पास करने वाले है, दबिश दिये जाने पर सफलता मिल सकती है। हरिओम शर्मा ने उक्त सूचना के सम्बन्ध में मुखबिर सूचना को रोजनामचे में दर्ज कर पंचनामा बनाया और आरक्षक से स्वतंत्र साक्षीगण को बुलवाकर उन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर सर्च वारण्ट प्राप्त करने में समय लगने एवं माल की अफरा तफरी की आशंका होने से हरिओम शर्मा ने हमराह स्टाफ,दोनों स्वतंत्र साक्षी एवं मय विवेचना सामग्री सील, चपड़ा आदि के साथ शासकीय वाहन से मुखबिर के बताये स्थान रानीताल चौक पहुंचे एवं स्टाफ को नाकाबंदी में लगाया। तभी एम्बेस्डर क्रमांक एम.पी. 20टी4954 रानीताल से टेलीग्राफ गेट नं.1 की तरफ तेज रफतार से नाकाबंदी तोड़ते हुये जा रही थी, जिसे स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर रोका गया और कार के रूकते ही सुशील सोनकर कार से उतरकर मौके से फरार हो गया। कार में बाबू कोरी एवं गोलू उर्फ इन्द्रकुमार बैठे मिले, जिन्हें मुखबिर सूचना और तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से कराने की जानकारी दी तो अभियुक्तगण ने हरिओम शर्मा को तलाशी की लिखित सहमति दी।

03. तदोपरान्त आरोपीगण के कब्जे से कार की तलाशी ली तो उसमें पीछे वाली सीट के उपर एक हरे रंग की मोटी पन्नी के बने बोरे में कुछ सामान भरा रखा मिला जिसे चैक करने पर गांजा जैसा मादक पदार्थ भरा हुआ पाया गया । जिसे बाहर निकाल कर मैदान में कपड़ा बिछाकर बोरी से पलटा गया तो सूंघकर और जलाकर देखने पर उस पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि हुई, जिसकी इलैक्ट्रानिक तराजू से तौल करने पर 23 किलो होना पाया गया । जप्त गांजे के पदार्थ में से 100—100ग्राम के दो सैम्पल निकालकर उन्हे

Signature Not Verified
Signed by: S HUSHMAT HUSSAIN
Signing time: 30-07-2025 19:22:56

मार्क –ए1 व मार्क –ए2 से चिन्हित किया गया। शेष गांजा 22.800 ग्राम पृथक से सीलबंद कर मार्क–ए से चिन्हित कर जप्त किया गया एम्बेस्डर कार को भी जप्त किया गया। अभियुक्त बाबू और गोलू को गिरफतारी के कारणो की सूचना देकर गिरफतार किया गया । बाद में फरार आरोपी सुशील सोनकर को भी गिरफतार किया गया एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की कायमी की गई। पुलिस अधीक्षक के ड्राफ्ट के साथ अभियुक्त से जप्त नमूने रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजे गये। जिसकी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उनमें गांजा पाया गया । विवेचना की सम्पूर्ण कार्यवाही के उपरान्त आरोपीगण के विरूद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में दिनांक 08.04.2010 को प्रस्तुत किया गया।

04. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/20(बी) (दो) सबक्लॉज ''सी'' के तहत आरोप विरचित कर पढकर सुनाया समझाया गया, तो आरोपीगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की तदनुसार आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

05. अभियोजन ने आरोपीगण के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित करने के लिये 06 अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित किया एवं प्र.पी. 1 से प्र.पी. 39 के दस्तावेज पेश किये हैं। धारा 313 द.प्र.स. के अन्तर्गत परीक्षण में आरोपीगण ने अभियोजन घटना से इंकार करते हुये व्यक्त किया है कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव में राजू पटेल (ब.सा. 1) एवं संजू उर्फ संजय ठाकुर (ब.सा.2) के कथन कराये है।

06. विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुये अपीलार्थी/आरोपी गोलू उर्फ इन्द्रकुमार पटेल को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/20(बी) (दो) सबक्लॉज ''सी'' के अन्तर्गत दोष सिद्ध ठहराते हुये उपरोक्तानुसार दण्डादेश से दंडित किया है।

Signature Not Verified
Signed by: S HUSHMAT HUSSAIN
Signing time: 30-07-2025 19:22:56

<u>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क :–</u>

07. अपीलार्थी / आरोपी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क के दौरान अभियोजन साक्षी मदन सिंह (अ.सा.1) की परिसाक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुये तर्क किया गया है कि उक्त साक्षी के कथन से स्पष्ट है कि चारों पैकिटों को उसके सामने नहीं खोला गया है और न तौला गया है। न्यायालय में भी कभी संपत्ति पेश नहीं हुई है। माल न्यायालय में जमा नहीं हुआ है। अभियोजन साक्षी रूपेश दुबे (अ.सा.3) पूर्णतः पक्ष विराधी है और वर्तमान मामले में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। कार्यवाही के अन्य साक्षी मनोज विश्वकर्मा की परिसाक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं करायी गई है। इस प्रकार अभिलेख पर किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परिसाक्ष्य नहीं है। इसके अलावा किसी चक्षुदर्शी साक्षी के कथन नहीं कराये गये है। अपीलार्थी / आरोपी घटना के समय वाहन चला रहा था। उससे कोई जप्ती नहीं हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का न्यायोचित रूप से मूल्यांकन कर न्यायोचित निष्कर्ष नहीं निकाले गये है। विकल्प में यह भी तर्क किया गया है कि अपीलार्थी / आरोपी 9 वर्ष एक माह से जेल में है। उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उसे निरोध में व्यतीत अवधि से दंडित किया जाये। अतः प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये अपीलार्थी / आरोपी को दोषमुक्त किया जाये।

<u>प्रत्यर्थी / शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्क :–</u>

08. प्रत्यर्थी / राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन साक्षीगण ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया है। बचाव साक्षी विश्वसनीय नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उचित रूप से दोषी पाते हुए दण्डित किया है। उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

09. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Signed by: S HUSHMAT HUSSAIN
Signing time: 30-07-2025 19:22:56

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u> :—

10. जहां तक अपीलार्थी/आरोपी से घटना दिनांक, समय व स्थान पर 23 कि. ग्राम गांजा जप्त होने का प्रश्न है? उक्त सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी उपनिरीक्षक हरिओम शर्मा (अ.सा.—5), है, जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 11.02. 2010 को पुलिस थाना लार्डगंज में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे मुखबिर ने थाने में आकर सूचना दी कि सुशील सोनकर नामक व्यक्ति अपने साथी बाबू कोरी एवं गोलू उर्फ इन्द्र कुमार के साथ एम्बेस्डर कार जिसका नम्बर एम.पी. 20टी 4954 से अवैध रूप से गांजा लेकर रानीताल चौक की तरफ आ रहे है। यदि दबिश दी जाये तो उन्हें पकड़ने में सफलता मिल सकती है। उक्त सूचना थाने के रोजनामचा सान्हा क्रमांक 870 में दर्ज किया गया था जो प्रदर्श पी 23 है। उसके पश्चात मुखबिर की उक्त सूचना के सम्बन्ध में आरक्षक श्याम सुन्दर व आरक्षक सुरेश शर्मा के समक्ष मुखबिर की सूचना का पंचनामा प्रदर्श पी—24 तैयार किया गया । उसके पश्चात आरक्षक दयाशंकर को दो स्वतंत्र साक्षी को बुलाने हेतु इलाके पर रवाना किया । जिसका रवानगी सान्हा क्रमांक 871, प्रदर्श पी 25 है जिसकी प्रति प्रदर्श पी 25 सी है। उक्त आरक्षक द्वारा इलाके से दो स्वतंत्र साक्षी मनोज विश्वकर्मा और रूपेश दुबे को लेकर थाने आया जिसके सम्बन्ध में रोजनामचा सान्हा क्रमांक 872, प्रदर्श पी 26 है, जिसकी प्रति प्रदर्श पी—26सी है।

11. उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे यह भी कथन किया है कि उसके द्वारा दोनों स्वतंत्र साक्षियों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुये पंचनामा प्रदर्श पी—06 का तैयार किया गया। उसके द्वारा तुरन्त कार्यवाही करने एवं सर्च वारण्ट प्राप्त करने में लगने वाले समय को देखते हुये उसके द्वारा सर्च वारण्ट प्राप्त किये बिना कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। जिसके सम्बन्ध में पंचनामा तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी 27 है। उसके पश्चात मुखबिर सूचना के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन तैयार कर नगर पुलिस

Signature Not Verified
Signed by: S HUSHMAT HUSSAIN
Signing time: 30-07-2025 19:22:56

अधीक्षक कोतवाली संभाग को जरिए आरक्षक शिवकुमार मिश्रा क्रमांक 540 प्रेषित किया गया था। जिसका रवानगी का सान्हा क्रमांक 873, प्रदर्श पी 28 है, जिसकी प्रति प्रदर्श पी–28सी है। जिसका प्रतिवेदन प्रदर्श पी–05 है। उसके द्वारा बिना सर्च वारण्ट प्राप्त किये एवं माल की अफरा–तफरी होने की संभावना को देखते हुये कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ की गई जिसके सम्बन्ध में रोजनामचा सान्हा क्रमांक 874, प्रदर्श पी 29 है, जिसकी प्रति प्रदर्श पी–29 सी है। उसके पश्चात उसने हमराह स्टाफ ए.एस.आई. डी.के. मिश्रा, शरद खम्परिया, प्रधान आरक्षक गुलाब सिंह, आरक्षक अनिल, आरक्षक दयाशंकर, आरक्षक श्याम सुन्दर , आरक्षक माखन सिंह, आरक्षक सुरेश शर्मा, आरक्षक राजीव दुबे, आरक्षक जयचन्द्र, सुरेश तिवारी, वेदप्रकाश एवं महिला आरक्षक ललिता बडगैया एवं दोनों स्वतंत्र साक्षी मनोज व रूपेश दुबे के साथ आवश्यक विवेचना सामग्री लेकर शासकीय वाहन से रानीताल चौक की ओर रवाना हुआ था। रवानगी का सान्हा क्रमांक 875, प्रदर्श पी 30 है, जिसकी प्रति प्रदर्श पी–30 सी है।

12. उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे यह भी कथन किया है कि रवाना होकर रानीताल पहुंचे वहां हमराह स्टाफ एवं स्वतंत्र साक्षियों के साथ थोडी देर सम्बंधित वाहन एम.पी. 20टी4954 का इन्तजार किया जो तेज रफ्तार से गेट नं. 2 की तरफ से आ रही थी जो तेजी से टेलीग्राफ गेट नं. 1 की तरफ भागते हुये तेज रफ्तार से ले गया । उसका पीछा किया तो एम्बेसडर कार को जगदीश अखाडा के पास रोका गया और कार के रूकने से कार का दरवाजा खोलकर सुशील मौका पाकर उतरकर भग गया तभी मय स्टाफ सफेद एम्बेसडर कार को घेरा बंदी कर स्टाफ खडा हो गया। मुताबिक सूचना के एम्बेसडर कार में बाबू कोरी एवं गोलू उर्फ इन्द्र कुमार पटेल मिले, वाहन का इन्द्रकुमार पटेल चला रहा था। वाहन चालक एवं साथी को मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया कि उसे ऐसी जानकारी मिली है कि एम्बेसडर कार में आपके कब्जे में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा है और उसे तलाशी लेना है जो विधिपूर्वक होगी यदि आप चाहे

Signature Not Verified
Signed by: S HUSHMAT HUSSAIN
Signing time: 30-07-2025 19:22:56

तो अपने वाहन की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दे सकते हो। उक्त सम्बन्ध में गोलू उर्फ इन्द्रकुमार को दी गई सूचा का पंचनामा प्रदर्श पी–7 है। इसी प्रकार आरोपी बाबू कोरी को दी गई सूचना का पंचनामा प्रदर्श पी–8 है। उक्त सूचना की प्राप्ति के पश्चात दोनों आरोपी गण ने अपनी लिखित सहमति उसे दी और उससे तलाशी कराने के लिये सहमत हुये। अभियुक्त बाबू द्वारा दी गई लिखित सहमति प्रदर्श पी–31 एवं अभियुक्त गोलू द्वारा दी गई लिखित सहमति प्रदर्श पी–32 है।

13. उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे यह भी कथन किया है कि इसके बाद उसने अपनी व स्टाफ के सदस्यों एवं दोनों गवाहो की तलाशी दोनो आरोपीगण से कराई गई जिसमें किसी के पास कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–9 है। उसके पश्चात आरोपीगण के कब्जे प्राप्त हुई एम्बेसडर कार एम.पी.20टी 4954 की तलाशी गवाहों के समक्ष ली गई, तलाशी के दौरान उक्त एम्बेसडर कार के पीछे वाली सीट के उपर एक हरे रंग की मोटी पन्नी का बोरा बरामद हुआ जिसमें गांजा जैसी वस्तु भरी पायी गई बोरे को निकाल कर बाहर मैदान पर रखा गया था जिसका तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–10 है जिस पर आरोपी गोलू उर्फ इन्द्र कुमार के तथा दूसरा तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–11 है जिस पर आरोपी बाबू कोरी के हस्ताक्षर है। आरोपीगण के कब्जे में बोरे में रखे पदार्थ को थोडी मात्रा में लेकर गवाहों के समक्ष सूंघकर और जलाकर पहचान की गई थी जिसमें से गांजा जैसी तेज गंध आने पर उक्त पदार्थ की पहचान गांजे के रूप में की गई थी। पहचान का पंचनामा प्रदर्श पी–12 है जिस पर उसके एवं आरोपी गोलू एवं बाबू के हस्ताक्षर है। उसके पश्चात साथ में लाये गये इलैक्ट्रानिक तराजू का भैतिक सत्यापन किया गया जो सही पाया गया जिसका सत्यापन पंचनामा प्रदर्श पी–13 है उसके पश्चात आरोपीगण से बरामद गांज की तौल करने पर कुल 23 किलो गांजा बरामद हुआ था। जिसका तौल पंचनामा प्रदर्श पी–14 है।

Signature Not Verified
Signed by: S HUSHMAT HUSSAIN
Signing time: 30-07-2025 19:22:56

14. उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे यह भी कथन किया है कि इसके बाद बरामद गांजे में से 100–100 ग्राम के दो सैम्पल निकालकर अलग अलग सीलबंद किये गये जिन्हें ए 1 व ए 2 से चिन्हित किया गया तथा शेष गांजा पृथक से सीलबंद कर मार्क–ए से चिन्हित किया गया था। सैम्पल का पंचनामा प्रदर्श पी–15 कर जप्त किया गया एम्बेस्डर कार को भी जप्त किया गया। जिस सील से गांजे एवं सैम्पल को सील किया गया था उसका नमूना सील पंचनामा प्रदर्श पी–18 है जिस पर उसके एवं आरोपी गोलू एवं बाबू के हस्ताक्षर है। बरामद गांजा एवं सैम्पलों का जप्ती पत्र प्रदर्श पी–16 है जिस पर उसके एवं आरोपी गोलू एवं बाबू के हस्ताक्षर है। आरोपी गोलू से एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार जिसका नम्बर एम.पी. 20टी. 4954 है जिसमें अवैध रूप से गांजा रखा था को जप्त कर जप्ती पत्र प्रदर्श पी–17 तैयार किया गया था जिस पर उसके एवं आरोपी गोलू के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दोनों आरोपीगण को गिरफतारी के कारणो की सूचना दी गई थी जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–19 है जिस पर उसके एवं आरोपी गोलू एवं बाबू के हस्ताक्षर है। इसके बाद दोनों आरोपीगण को विधिवत गिरफतार किया गया जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–20 एवं 21 है जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं। उसके पश्चात मौके की कार्यवाही पूर्ण कर बरामद गांजा एवं दोनों सैम्पल व जप्तशुदा कार सहित मय स्टाफ थाने वापस आकर वापसी सान्हा क्रमांक 891 पदर्श पी–33 तैयार किया था जिसकी प्रति प्रदर्श पी–33 सी है।

15. उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे यह भी कथन किया है कि थाने वापस आकर जप्तशुदा वस्तु एवं सैम्पलों को मालखाना मोहर्रिर को सौंपा एवं की गई कार्यवाही के आधारपर अपराध क्रमांक 53/10 अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्रदर्श पी–34 दो पृष्ठो में है जिसके प्रत्येक पृष्ठों पर उसके हस्ताक्षर है। अपराध की कायमी के पश्चात जप्तशुदा माल को मालखाना प्रभारी को सौंपकर उसकी पावती ली

Signature Not Verified
Signed by: S HUSHMAT HUSSAIN
Signing time: 30-07-2025 19:22:56

थी जिसके सम्बन्ध में रोजनामचा सान्हा क्रं. 893 लेख किया गया था जो प्रदर्श पी–35 है जिसकी प्रति प्रदर्श पी 35 सी है। आरोपीगण की गिरफतारी की सूचना उनके परिवार वालो को दी थी। आरोपी बाबू कोरी की पत्नी प्रीति कोरी को दी गई सूचना प्रदर्श पी–36 एवं आरोपी गोलू उर्फ इन्द्रकुमार के रिस्तेदार बालेश पटेल को दी गई सूचना प्रदर्श पी–37 है। उसके द्वारा प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही का प्रतिवेदन तैयार कर पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया था जो प्रदर्श पी 38 है। प्रकरण की एफ.आई.आर , जप्ती पत्र व गिरफतारी पचनाम की प्रतियां न्यायालय को भेजी गई थी जिसकी प्रविष्टि डाक बुक पर है।

16. उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे यह भी कथन किया है कि न्यायालय में प्रस्तुत गांजे के दोनों सीलबंद पैकेट जो आर.एफ.एस.एल. भोपाल से परीक्षण उपरान्त प्राप्त हुये थे और न्यायालय में जमा किये गये थे। ये क्रमशः आर्टीकल ए, आर्टीकल बी है जिन पर आर.एफ.एस.एल. भोपाल का सील चपडा लगा हुआ है। उपरोक्त आर्टीकलों को खोलने पर उनके अन्दर सफेद कपडे में उसके द्वारा सीलबंद किये गये गांजे के सैम्पल है जिन्हें उसने मौके पर आरोपी बाबू कोरी, गोलू पटेल से जप्त गांजे मे से निकालकर तैयार किये थे। आर्टिकल ए तथा बी में जो कागज की पर्ची मेरे द्वारा चिपकाई गई थी उस पर ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी बाबू कोरी के तथा सी से सी भाग पर आरोपी गोलू के हस्ताक्षर है तथा गवाह रूपेश दुबे व मनोज के भी हस्ताक्षर है। प्रकरण मे जप्त शेष गांजा 22 किलो 800 ग्राम सीलबंद हालत में थाने के मालखाने में सुरक्षित रखा है जो पेश कर दिया जायेगा।

17. उक्त साक्षी के कथन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 26.11.11 को 22 किलो 800 ग्राम गांजा सीलबंद स्थिति में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसे आर्टीकल सी से चिन्हित किया गया हैं आर्टीकल सी पर सील चपडा चिपका हुआ जिसके

Signature Not Verified
Signed by: S HUSHMAT HUSSAIN
Signing time: 30-07-2025 19:22:56

ए से ए भाग पर निरीक्षक हरिओम शर्मा के हस्ताक्षर है तथा दोनों साक्षी रूपेश दुबे एवं मनोज विश्वकर्मा के भी हस्ताक्षर है।

18. अभियोजन साक्षी हरिओम शर्मा के उक्त कथन के लगभग अनुरूप ही कथन अन्य अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक मदन सिंह (अ.सा.1), सहायक उपनिरीक्षक खेलन सिंह (अ.सा.2),प्रधान आरक्षक शरद कुमार खम्परिया (अ.सा.4), के भी है ।

19. अतः विचारणीय यह है कि क्या अभियोजन साक्षीगण हरिओम शर्मा (अ. सा.5) प्रधान आरक्षक मदन सिंह (अ.सा.1), सहायक उपनिरीक्षक खेलन सिंह (अ.सा.2),प्रधान आरक्षक शरद कुमार खम्परिया (अ.सा.4)) प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर पूरे उतरे है और विश्वसनीय साक्षी हैं।

20. अभियोजन साक्षी हरिओम शर्मा, प्रधान आरक्षक मदन सिंह, सहायक उपनिरीक्षक खेलनसिंह, प्रधान आरक्षक शरद कुमार खम्परिया के कथनों से दर्शित होता है कि उक्त साक्षीगण से अपीलार्थी/आरोपी की ओर से विस्तृत जिरह की गई है लेकिन उक्त साक्षीगण के कथनों में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं जिससे यह दर्शित हो कि ये साक्षीगण विश्वसनीय साक्षी नहीं है, या अन्यथा उनकी परिसाक्ष्य संदेहास्पद होना दर्शित हो। इसके अलवा उक्त अभियोजन साक्षीगणों के कथनों में कोई तात्विक विरोधाभास, विसंगतियां या लोप होना भी दर्शित नहीं है। उक्त साक्षीगण के न्यायालयीन कथनों एवं उनके पुलिस कथनों में भी तात्विक विरोधाभास, विसंगतियां या लोप होना दर्शित नहीं है। उक्त साक्षीगण के पास अपीलार्थी/आरोपी को प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किये जाने का कोई कारण या हेतुक होना भी दर्शित नहीं है। अतः संक्षेप में उक्त अभियोजन साक्षीगण पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी होना दर्शित होतें हैं।

Signature Not Verified
Signed by: S HUSHMAT HUSSAIN
Signing time: 30-07-2025 19:22:56

21. अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक मदन सिंह (अ.सा.1) थाने में मालखाना प्रभारी के पद पर पदस्थ है। इसलिये उसके द्वारा थाने के मालखाना में जमा किये गये पैकिटों को जमा करने के समय/पूर्व पैकिटों को खोलना या तौलना अपेक्षित नहीं था और न ही उसके द्वारा न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक था। विवेचक हरिओम शर्मा के कथन से दर्शित होता है कि जप्तशुदा माल प्रकरण की साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत हुआ है और प्रदर्शित भी हुआ है। अतः प्रधान आरक्षक मदन सिंह द्वारा माल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना या जमा नहीं किया जाना अभियोजन के मामले के लिये घातक नहीं है और न उसे प्रतिकूलतः प्रभावित करता है।

22. यह सही है कि जप्ती व अन्य कार्यवाहियों का साक्षी रूपेश दुबे (अ.सा.3) पक्षविरोधी है और उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। यह भी सही है कि जप्ती व अन्य कार्यवाही के साक्षी रूपेश दुबे एवं मनोज विश्वकर्मा स्थानीय साक्षी नहीं है। उपरोक्त से अपीलार्थी/आरोपी को कोई लाभ नहीं मिलता क्योंकि अभियोजन साक्षी हरिओम शर्मा व अन्य अभियोजन साक्षी पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी है। प्रदर्श पी–16 के जप्ती पंचनामा से दर्शित होता है कि वर्तमान मामले में जप्ती संयुक्त रूप से बाबू कोरी एवं गोलू उर्फ इन्द्रकुमार पटेल (अपीलार्थी) से हुई है। यह सही है कि अपीलार्थी/आरोपी घटना के समय एम्बेसडर कार क्रमांक एम.पी. 20टी.4954 चला रहा था। वर्तमान प्रकरण में गांजे की जप्ती उक्त कार से हुई है। अतः न्यायालय का मत है कि उपरोक्त से अपीलार्थी/आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

23. निर्णय के पूर्ववर्ती पैराओं में की विवेचना, विशेषतः अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं हरिओम शर्मा के कथनों, के दृष्टिगत यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रकरण में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के आदेशात्मक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Signed by: S HUSHMAT HUSSAIN
Signing time: 30-07-2025 19:22:56

24. अतः निर्णय के पूर्ववर्ती पैराओं में की विवेचना एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के दृष्टिगत न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी/आरोपी की धारा 8/20(बी) (दो) सबक्लॉज ''सी'' स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत दोषसिद्धि पूर्णतः विधि सम्मत है और उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का न्यायोचित मूल्यांकन करते हुये न्यायोचित निष्कर्ष निकाले है। वर्तमान मामले में अभिलेख पर की साक्ष्य से धारा 8/20(बी) (दो) सबक्लॉज ''सी'' स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, के अपराध को गठित करने वाले आवश्यक तत्व पूर्णतः प्रमाणित है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी की धारा 8/20(बी) (दो) सबक्लॉज ''सी'' स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, के अन्तर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

25. जहां तक दण्डादेश का प्रश्न है ? विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/आरोपी को धारा 8/20(बी) (दो) सबक्लॉज ''सी'' स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, के तहत दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000/—रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में चार माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। वर्तमान मामले में अपीलार्थी आरोपी से 23 किलो गांजा जप्त हुआ है। धारा 8/20(बी) (दो) सबक्लॉज ''सी'' स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत न्यूनतम कारावास दस वर्ष है । अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डादेश में हस्तक्षेप करने का कोई ओचित्य या आधार नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी की धारा 8/20(बी) (दो) सबक्लॉज ''सी'' स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत अधिरोपित दण्डादेश की पुष्टि की जाती है।

26. अतः निर्णय के पूर्ववर्ती पैराओं में की विवेचना के आधार पर अपीलार्थी/आरोपी के द्वारा प्रस्तुत अपील दोष सिद्धि एवं दण्डादेश दोनों बिन्दू पर निरस्त

Signature Not Verified
Signed by: S HUSHMAT HUSSAIN
Signing time: 30-07-2025 19:22:56

की गई।

27. निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब सम्बंधित विचारण न्यायालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजा जावे। निर्णय की एक प्रति सम्बंधित जेल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

28. अपीलार्थी/आरोपी द्वारा प्रस्तुत अपील उपरोक्तानुसार निराकृत की गयी।

(अचल कुमार पालीवाल)
न्यायाधीश

राजेश जायसवाल

Signature Not Verified
Signed by: S HUSHMAT HUSSAIN
Signing time: 30-07-2025 19:22:56

Signature Not Verified
Signed by: S HUSHMAT HUSSAIN
Signing time: 30-07-2025 19:22:56